

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 121 /2022

उनवान

सोनाथ पिता हीरा गुर्जर निवासी सालरिया

- प्रार्थीगण

बनाम

1. नाना पिता मांगीलाल गुर्जर निवासी सालरिया
2. नाना पिता मीठु गुर्जर निवासी सालरिया
3. गमान पुत्री छगना जाट निवासी पपलाज तहसील कोटडी
4. मांगी पत्नि स्व0 छगना जाट निवासी पपलाज तहसील कोटडी
5. रूकमा पुत्री छगना जाट निवासी पपलाज तहसील कोटडी
6. हंसाकंवर पत्नि हिम्मतसिंह राजपूत निवासी पपलाज तहसील कोटडी
7. नारायण पिता धन्ना जाट निवासी पपलाज तहसील कोटडी

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री अविनाश जीनगर
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-: निर्णय :-

दिनांक- 20 /06 /2022


प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं - ग्राम **खेडीखुर्द** सालरियाखुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 830 /642 रकबा 0.12 है0 1651 /1895 रकबा 0.48 है0 1654 रकबा 0.45 है0** कुल किता **3 रकबा 1.05 हैक्टेयर** के खातेदार प्रार्थीगण खातेदारी काश्तकार हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगद्दी करवाई जावे।


प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण संख्या 1 व 2** बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा **विपक्षीगण सं0 3 लगायत 7** के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम **खेडीखुर्द सालरिया खुर्द 2074 से 2077, संवत 2075 से 2078** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगद्दी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **खेडीखुर्द एवं सालरिया खुर्द** में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात् किता **3 रकबा 1.05 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगद्दी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगद्दी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगद्दी हेतु कमिश्नर **फीस 500 रुपये** कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगद्दी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20 /06 /2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।



प्रतिनिधि तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।


(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा


उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा